

प्रेषिका,

अपर्णा देव,
सिविल जज (प्रवर खण्ड),
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

श्रीमान महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।

विषय: पत्रांक 7781/IV-3869/ Admin (A-4)/ दिनांकित 30.05.2023 के तहत चाहे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन यह है कि उपरोक्त पत्रांक में मुझसे यह पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-2012 में अंकन 1,219,27/-रूपए, वित्तीय वर्ष 2012-2013 में अंकन 18,714/-रूपए एवं वित्तीय वर्ष 2013-2014 में अंकन 1,46,583/-रूपए की इतनी कम धनराशि में मेरे द्वारा अपने घर के दो सदस्यों के घरेलू खर्चा किस प्रकार किया गया। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन इस प्रकार है:-

- (1) यह कि मेरे द्वारा दिनांक 18.12.2009 को अपर सिविल जज (अवर खण्ड), मेरठ के रूप में सेवा प्रारम्भ की गई है।
- (2) यह कि मेरे पति श्री प्रशान्त कुमार सिंह भी न्यायिक अधिकारी है और मेरे समान वेतन प्राप्त करते हैं।
- (3) यह कि मैं काफी समय तक निःसन्तान रही और मुझे दिनांक 15.09.2022 को जुडवा सन्तानें उत्पन्न हुईं।
- (4) यह कि मेरे सभी परिवारीजन (पिता, भाई, आदि) सभी सरकारी सेवा में रहे हैं तथा अपना खर्चा खुद उठाते हैं, जिस कारण मुझ पर एवं मेरे पति पर कोई भी परिवारीजन आश्रित नहीं रहे हैं।
- (5) यह कि मेरे एवं मेरे पति का खर्चा बहुत ही कम रहा, जो कि अधिकांशतः मेरे पति के वेतन से उठाया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-2012, वित्तीय वर्ष 2012-2013 एवं वित्तीय वर्ष 2013-2014 में निःसन्तान होने एवं अन्य कोई आर्थित दायत्व न होने के कारण मेरा वेतन कम खर्च हुआ है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया,

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पत्रांक 2438/XV-11/2020 दिनांक 01/11/2023
अग्रसारित

Vinay Kumar Dwivedi
जनपद न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर
01/11/2023

अपर्णा देव
01/11/2023
(अपर्णा देव),
सिविल जज (प्रवर खण्ड),
मुजफ्फरनगर।